SITAPUR POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट- जनपद सीतापुर

सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास तथा 16,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा

दिनांकः-23.09.2026

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत **थाना संदना पुलिस एवं मॉनिटरिंग/पैरोकारी सेल** की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

मामले का विवरणः

- **मुकदमा अपराध संख्याः** 192/2024
- **संबंधित धाराएंः** 342, 506 भारतीय दण्ड संहिता (IPC) एवं 3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट
- **थानाः** संदना, जनपद सीतापुर
- **अभियुक्त का नामः** अमित कुमार पुत्र मुन्नीलाल
- **पताः** निवासी ग्राम तेरवा, थाना अतरौली, जिला हरदोई

घटना का संक्षिप्त विवरणः

दिनांक 20.04.2024 को पीड़िता (उम्र 16 वर्ष) के साथ अभियुक्त अमित कुमार द्वारा दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी देने का अपराध कारित किया गया था। पीड़िता के पिता द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना संदना पर मु०अ०सं० 192/2024 दर्ज कर अभियुक्त को

गिरफ्तार किया गया था। थाना संदना पुलिस द्वारा निष्पक्ष एवं त्वरित विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र (Charge Sheet) प्रेषित किया गया।

माननीय न्यायालय का निर्णय:

आज दिनांक **23.09.2026** को **माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-14, सीतापुर** द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए, अभियोजन पक्ष व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त **अमित कुमार** को दोषी ठहराते हुए निम्नलिखित दण्डादेश से दण्डित किया गया

1. **धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट:** 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदण्ड। (अर्थदण्ड न देने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास)
2. **धारा 506 IPC:** 02 वर्ष का कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड। (अर्थदण्ड न देने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास)
3. **धारा 342 IPC:** 01 वर्ष का कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदण्ड। (अर्थदण्ड न देने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास)